<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>27.05.2026</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पणजी आंचलिक कार्यालय ने गोवा के अरपोरा स्थित "बर्च बाय रोमियो लेन" प्रतिष्ठान के अवैध संचालन से संबंधित चल रही जांच के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत **11.01 करोड़ रुपये** मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है।

ईडी ने गोवा पुलिस (अंजुना पुलिस स्टेशन और मापुसा पुलिस स्टेशन) द्वारा सौरभ लूथरा और अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 के विभिन्न प्रावधानों के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। ये एफआईआर न केवल 06.12.2025 की भीषण अग्निकांड से संबंधित हैं, जिसके परिणामस्वरूप 25 लोगों की मौत हुई और कई अन्य घायल हुए, बल्कि फर्जी और मनगढ़ंत अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) और नियामक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य वैधानिक दस्तावेजों सहित दस्तावेजों की जालसाजी से जुड़े अपराधों से भी संबंधित हैं।

पीएमएलए के तहत की गई जांच में पता चला कि मेसर्स बीइंग जीएस हॉस्पिटैलिटी गोवा अर्पोरा एलएलपी द्वारा अनिवार्य वैधानिक स्वीकृतियों, जिनमें अग्नि सुरक्षा एनओसी भी शामिल है, के बिना प्रतिष्ठान का संचालन किया जा रहा था। प्रतिष्ठान के साझेदारों ने कथित तौर पर लाइसेंस प्राप्त करने और अवैध प्रतिष्ठान को वैध दिखाने के लिए फर्जी स्वास्थ्य एनओसी और फर्जी पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट सहित जाली और फर्जी दस्तावेज जमा किए थे।

जांच में आगे पता चला कि साझेदारों ने आपस में मिलीभगत करके अनिवार्य लाइसेंसों के न होने और उनकी अवधि समाप्त होने के बावजूद जानबूझकर व्यावसायिक गतिविधियां जारी रखीं। प्रतिष्ठान का व्यापार लाइसेंस 31.03.2024 को समाप्त हो गया था और उसका नवीनीकरण नहीं किया गया था; फिर भी, प्रतिष्ठान उसके बाद भी चलता रहा। पीएमएलए के तहत की गई जांच में यह भी पता चला है कि इस प्रतिष्ठान ने वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 (06.12.2025 तक) की अवधि के दौरान लगभग 29.78 करोड़ रुपये का कुल राजस्व अर्जित किया, जिसे पीएमएलए के प्रावधानों के तहत अपराध की आय के रूप में पहचाना गया है।

इससे पहले, जांच के दौरान, 23.01.2026 को संबंधित संस्था से जुड़े विभिन्न परिसरों पर तलाशी ली गई, जिसके परिणामस्वरूप आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण जब्त किए गए और लगभग 59 लाख रुपये के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए।

इससे पहले, उक्त मामले में लगभग 17.45 करोड़ रुपये का अंतरिम कुर्की आदेश (पीएओ) जारी किया गया था। नवीनतम कुर्की और संपत्ति ज़ब्त करने के साथ, इस मामले में कुल कुर्की/ज़ब्त की गई राशि अब लगभग 29.05 करोड़ रुपये हो गई है।